प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 15 जनवरी, 2016 को अपराह्न 03:00 बजे से चिकित्सा विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन स्थित सेल्बी हॉल में विश्वविद्यालय विद्या परिषद (एकेडेमिक कांउन्सिल) की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ ही साथ किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय मेडिकल कालेजों तथा विभिन्न नर्सिंग कालेजों के निदेशक/प्राचार्य/प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। विद्यापरिषद में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में विभिन्न नवीन पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों की बोर्ड ऑफ फैकल्टी की बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित करने के साथ ही साथ एकेडेमिक विषयों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। विद्यापरिषद की बैठक में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधीन एम0एस0सी0 बॉयोकमेस्ट्री, एम0एस0सी0 रेडियोलोजिकल फिजिक्स, एम0एस0सी0 क्लीनिकल साईकोलोजी, एम0एस0सी0 लैब टेक्लोनोजी, डी0एम0 एडल्सेण्ट साईकियाट्री, बी0एस0सी0 आप्टोमेट्री तथा बी0एस0सी0 फिजियोथिरेपी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विद्यापरिषद द्वारा प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा हैण्ड एण्ड माइक्रोसर्जरी पर प्रस्तावित पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। विद्यालयपरिषद द्वारा एसोसिएशन ऑफ डायबिटिक इण्डिया के सहयोग से व्यवसायिक चिकित्सकों हेतु ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ डायबिटीक कोर्स संचालित किये जाने पर भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। चिकित्सा विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद द्वारा चिकित्सा शिक्षकों के 65 वर्ष की आयु सीमा पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् 70 वर्ष की आयु सीमा तक विभिन्न शर्तो को पूर्ण करने की प्रत्याशा में संविदा के माध्यम से पुनर्नियोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये

जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें यदि किसी चिकित्सा शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून के पश्चात् पड़ती है तो उसे आगामी शैक्षणिक सत्र में 30 जून तक संविदा के माध्यम से पुनर्नियोजित किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय पुरस्कारों यथाः पद्मश्री, डा0 एस0एस0भटनागर तथा डा0 बी0सी0राय अवार्ड से सम्मानित चिकित्सा शिक्षकों को उसी पद पर जिसे वो धारित करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे को अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु सेवाविस्तार प्रदान किये जाने विषयक तथा सेवानिवृत्त होने के उपरांत सेवाविस्तार प्राप्त करने वाला शिक्षक यदि सम्बंधित विभाग का विभागाध्यक्ष है तो वह विभागाध्यक्ष के पद पर नहीं होगा सम्बंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक में शिक्षण-अधिगम के उद्देश्यों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक करीब 05 बजे समाप्त हुई जिसमें चिकित्सा विश्वविद्यालय में एकेडेमिक गतिविधियों से सम्बंधित विभिन्न अन्य बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।